415

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 324/XXIII/2014/04(01)/2014
देहरादूनः दिनॉकः 27 मई, 2014

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–126/XXIII/2014/04(01)/2014 देहरादून दिनांक–28.02.2014 द्वारा वर्ष, 2014–15 हेतु आबकारी नीति अधिसूचित की गयी है। उक्त नीति में अन्य प्राविधानों के अतिरिक्त नियम–24 में विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक अनुज्ञापन हेतु व्यवस्था प्राविधानित की गयी थी।

2. प्रदेश में मदिरा आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या–126/XXIII/2014/04(01)/2014 दिनांक–28.02.2014 के नियम–24 को निम्नानुसार स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 के अनुसार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू) अनुज्ञापन :– (1) वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा, ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्रान्डी, जिन, बियर, वॉईन, वोडका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बाटल्ड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (legal rights) प्राप्त हैं, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। (3) वर्ष 2014–15 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के लिये रूपये 5 लाख, एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन के लिए रू0 3 लाख एवं एफ0एल0–2(एस) /एफ0एल0–2(डब्लू) अनुज्ञापन के लिये रू0 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रूपये 1 लाख एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रू0 50 हजार देय होगी।	"मदिरा की आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल में कुल दो एफ0एल0–02 खोले जायेंगे तथा उक्त एफ0एल0–02 अनुज्ञापी द्वारा सम्बन्धित मण्डल के प्रत्येक जनपद में उप एफ0एल0–02 अनुज्ञापन खोले जायेंगे। सफल एफ0एल0–02 अनुज्ञापी को पर्वतीय क्षेत्रों में फल प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देने के उद्देश्य से एक–एक विन्टनरी/वाईनरी/ब्रुवरी स्थापित करना अनिवार्य होगा।"

क्रमश.....2

4 उक्तानुसार संशोधित व्यवस्था के क्रम में आवश्यक प्रक्रिया, शर्तों का निर्धारण एवं शुल्क आदि की शर्तें पृथक से निर्धारित करने के उपरांत उक्त व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जायेगी।

5. आबकारी नीति वर्ष, 2014–15 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

(डा०एस०एस०संधु)
प्रमुख सचिव

संख्या 324(I)/XXIII/2014/04(01)2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव